न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 08/2023
अनवान : –

1. पलाराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. धर्मपाल पुत्र ज्ञानाराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
2. विनोद कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
3. सुशील कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–**श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता प्रार्थी**
श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः 30/10/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 22 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 55/51 के प0न0 322/394 मु0न0 15 के किला न0 8, 13, 14, 17, 18, 23 व 2 की कुल 1.7710 हैक्ट भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा चक 22 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 48/37 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि चिपती हुई है तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में सुविधा व नजदीक का आने जाने का कोई मंजुद शुदा रास्ता नही है प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिए काश्त व फसल आदि ले जाने व कृषि कार्य के लिए आने जाने में व कृषि भूमि में आने जाने में भारी समस्या हो रही है और प0न0 322/394 मु0 न0 15 के किला न0 1 ता 5 में मंजुर शुदा रास्ता है और प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि प0न0 312/394 मु0न0 15 के किला न0 1 ता 5 में मंजुर शुदा रास्ता है और प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि प0न0 312/394 मु0न0 15 के किला न0 4 के नीचे किला न0 8 है इसलिए प0न0 312/394 मु0न0 15 के किला न0 4/2 के पश्चिमी तरफ 1 बिस्वा का रास्ता मंजुर करवा पाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:12:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थी ने नियमानुसार व विधि अनुसार अप्रार्थीगण को एक बिस्वा रास्ते के बदले प्रतिफल दे दिया है किन्तु आजतक रास्ता मंजुर नही हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि रोही मौजा चक 22 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या

48/37 के प0न0 322/394 मु0न0 15 के किला न0 4/2 के पश्चिमी तरफ उत्तर से दक्षिण एक बिस्वा रास्ता मंजुर किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होने के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की तरफ से जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की रोही मौजा चक 22 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 48/37 के प0न0 322/394 मु0न0 15 के किला न0 4/2 के पश्चिमी तरफ उत्तर से दक्षिण एक बिस्वा रास्ता मंजुर किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया की प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का बाहमी राजीनामा हो चुका है जिसके अनुसार रोही मौजा चक 22 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 48/37 के प0न0 322/394 मु0न0 15 के किला न0 4/2 के पश्चिमी तरफ उत्तर से दक्षिण एक बिस्वा रास्ता मंजुर किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने भी निवेदन किया की उक्त रास्ता मंजुर किया जाता है तो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि रोही मौजा चक 22 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 48/37 के प0न0 322/394 मु0न0 15 के किला न0 4/2 के पश्चिमी तरफ उत्तर से दक्षिण एक बिस्वा रास्ता मंजुर किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो अप्रार्थी स0 1ता 3 को कोई ऐतराज नही है। किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं सायलान एवं गैरसायलान की आपसी सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 22 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 48/37 के प0न0 322/394 मु0न0 15 के किला न0 4/2 के पश्चिमी तरफ उत्तर से दक्षिण एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार नोहर को पालना हेतु पृथक से निर्णय की प्रति प्रेषित कि जावें। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30/10/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 15:12:11 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर